संख्या-110/2023/292/22-2-2023-17(209)/2023

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 29 मार्च, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी डा0 इरफान पुत्र श्री असलम खान, निवासी जनपद-सहारनपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5903/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-08-02-2023) दिनांक-22-02-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी डा0 इरफान पुत्र श्री असलम खान, जो शेखजादगान कस्बा, थाना-तीतरो, जनपद-सहारनपुर का रहने वाला है। दिनांक 04/05.07.2005 की रात्रि लगभग 9.15 बजे एक सफेद रंग की मार्शल जीप नं0-यू0पी0 42 टी-0618 महिन्द्रा, जैन मन्दिर के पास बैरिकेटिंग पर आकर रूकी, देखते ही एक जोरदार धमाका हुआ तथा जीप के परखच्चे उड़ गये। परिसर के अन्दर कुछ आतंकवादी जो सिविल कपड़ो में थे तथा उनकी पीठ पर बैग टंगे हुए थे, हाथ में स्वचालित असलहों से फोर्स की तरफ फायर करते व बम फेंकते हुए मुख्य परिसर की तरफ भाग रहे थे। सुरक्षा टुकड़ी द्वारा बदमाशों को काबू करने की नीयत से फायर शुरू किया गया। लगभग डेढ़ घण्टे बाद 02 आतंकवादी इनर कार्डेन के पास मृत पाये गये, जिनमें एक आतंकवादी के पास एक अदद ए0के0-47 रायफल नं0-6351, जीवित कारतूस-25 अदद, 02 मैगजीन, एक चाइनीज पिस्टल एक अदद कुरान शरीफ, 05 अदद ग्रेनेड शव के पास बारामद हुए तथा दूसरे आतंकवादी के पास एक अदद ए0के0-47 रायफल नं0-6367, 02 अदद मैगजीन, ए0के0-47 के जीवित कारतूस 29 अदद व 04 ग्रेनेड बरामद हुए। सीता रसोई के पास झाड़ियों के बीच 02 आतंकवादियों की लाश पायी गयी, जिसमें एक आतंकवादी मानव बम था उसके शरीर के परखच्चे उड़कर इधर-उधर पड़े थे, उसके पास ए0के0-47 रायफल नं0-2438, 02 अदद मैगजीन ए0के0-47 व राकेट लांचर ट्यूब एक अदद व जिन्दा कारतूस 27 अदद बरामद हुए। दूसरे आतंकवादी के पास 01 अदद ए0के0-47 रायफल नं0-5554, जीवित कारतूस-19 अदद, एक पिस्टल मय मैगजीन व 04 ग्रेनेड शव के पास जिन्दा पड़े मिले पांचवा आतंकवादी जनरेटर रूप में पास आउटर कार्डेन के तरफ वाली रास्ते में मृत पाया गया जिसके पास एक अदद ए0के0-47 रायफल नं0-6505, 03 अदद मैगजीन ए0के0-47, 02 ग्रेनेड शव के पास जीवित अवस्था में व ए0के0-47 के 41 जिन्दा कारतूस बरामद हुए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उक्त घटना में शामिल 04 अभियुक्तों 1-मोहम्मद नसीम, 2-आशिफ इकबाल ऊर्फ फारूख, 3-शकील, निवासी जम्मू एण्ड कश्मीर राज्य, 04-डा0 इरफान, निवासी सहारनपुर, उ0प्र0 द्वारा रामजन्म भूमि मंदिर परिसर, अयोध्या में क्षति कारित करने के उद्देश्य से तथा बाबरी मस्जिद के ध्वस्तीकरण का बदला लेने के उद्देश्य से, दो सम्प्रदायों के बीच शत्रुता बढ़ा कर साम्प्रदायिक सौहार्द को नष्ट करने एवं एक सम्प्रदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से मृतक आतंकवादियों के साथ षड़यत्र करके इस आतंकवादी घटना को कारित किया गया जिसमें एक जनता के व्यक्ति रमेश कुमार की मृत्यु आतंकवादियों द्वारा जीप सं0-यूपी-42 टी 0618 को बम से ब्लास्ट करने से मौके पर हुई तथा एक महिला शान्ती देवी को गंभीर चोटे आयी जिससे उपचार के दौरान दिनांक 02.08.2005 को उसकी मृत्यु हो गयी। घटना में 05 आतंकवादियों व रमेश नामक व्यक्ति एवं 01 महिला सहित कुल 07 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी।

उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-10/07 भा0द0सं0 की धारा-302/120बी, 307/120बी, 153ए/120बी, 153बी/120बी0, 353/120बी, 295/120बी व 4 लोक सम्पत्ति क्षति अधिनियम/120बी, 18, 19, 20 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधि0/120बी के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18.06.2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.10.2022 तक 16 वर्ष 11 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 06 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, सहारनपुर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा राष्ट्र विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने जिसमें 07 व्यक्तियों की मृत्यु हुयी, पुलिस एवं अर्ध सैनिक बल के कार्मिक घायल हुए व शासकीय सम्पत्ति की क्षति हुयी एवं समाज में भय व्याप्त हुआ। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, राष्ट्र विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी डा0 इरफान पुत्र श्री असलम खान को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रिमि0 अपील संख्या-5470/2019 डा0 इरफान बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 09.11.2022 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी डा0 इरफान (बन्दी संख्या-196/19) पुत्र श्री असलम खान, निवासी जनपद-सहारनपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय

विशेष सचिव।

संख्या-110/2023/292(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-110/2023/292/22-2-2023-17(209)/2023

दिनांक 29 मार्च, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी डा0 इरफान पुत्र श्री असलम खान, जो शेखजादगान कस्बा, थाना-तीतरो, जनपद-सहारनपुर का रहने वाला है। दिनांक 04/05.07.2005 की रात्रि लगभग 9.15 बजे एक सफेद रंग की मार्शल जीप नं0-यू0पी0 42 टी-0618 महिन्द्रा, जैन मन्दिर के पास बैरिकेटिंग पर आकर रूकी, देखते ही एक जोरदार धमाका हुआ तथा जीप के परखच्चे उड़ गये। परिसर के अन्दर कुछ आतंकवादी जो सिविल कपड़ो में थे तथा उनकी पीठ पर बैग टंगे हुए थे, हाथ में स्वचालित असलहों से फोर्स की तरफ फायर करते व बम फेंकते हुए मुख्य परिसर की तरफ भाग रहे थे। सुरक्षा टुकड़ी द्वारा बदमाशों को काबू करने की नीयत से फायर शुरू किया गया। लगभग डेढ़ घण्टे बाद 02 आतंकवादी इनर कार्डेन के पास मृत पाये गये, जिनमें एक आतंकवादी के पास एक अदद ए0के0-47 रायफल नं0-6351, जीवित कारतूस-25 अदद, 02 मैगजीन, एक चाइनीज पिस्टल एक अदद कुरान शरीफ, 05 अदद ग्रेनेड शव के पास बारामद हुए तथा दूसरे आतंकवादी के पास एक अदद ए0के0-47 रायफल नं0-6367, 02 अदद मैगजीन, ए0के0-47 के जीवित कारतूस 29 अदद व 04 ग्रेनेड बरामद हुए। सीता रसोई के पास झाड़ियों के बीच 02 आतंकवादियों की लाश पायी गयी, जिसमें एक आतंकवादी मानव बम था उसके शरीर के परखच्चे उड़कर इधर-उधर पड़े थे, उसके पास ए0के0-47 रायफल नं0-2438, 02 अदद मैगजीन ए0के0-47 व राकेट लांचर ट्यूब एक अदद व जिन्दा कारतूस 27 अदद बरामद हुए। दूसरे आतंकवादी के पास 01 अदद ए0के0-47 रायफल नं0-5554, जीवित कारतूस-19 अदद, एक पिस्टल मय मैगजीन व 04 ग्रेनेड शव के पास जिन्दा पड़े मिले पांचवा आतंकवादी जनरेटर रूप में पास आउटर कार्डेन के तरफ वाली रास्ते में मृत पाया गया जिसके पास एक अदद ए0के0-47 रायफल नं0-6505, 03 अदद मैगजीन ए0के0-47, 02 ग्रेनेड शव के पास जीवित अवस्था में व ए0के0-47 के 41 जिन्दा कारतूस बरामद हुए।

उक्त घटना में शामिल 04 अभियुक्तों 1-मोहम्मद नसीम, 2-आशिफ इकबाल ऊर्फ फारूख, 3-शकील, निवासी जम्मू एण्ड कश्मीर राज्य, 04-डा0 इरफान, निवासी सहारनपुर, उ0प्र0 द्वारा रामजन्म भूमि मंदिर परिसर, अयोध्या में क्षति कारित करने के उद्देश्य से तथा बाबरी मस्जिद के ध्वस्तीकरण का बदला लेने के उद्देश्य से, दो सम्प्रदायों के बीच शत्रुता बढ़ा कर साम्प्रदायिक सौहार्द को नष्ट करने एवं एक सम्प्रदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से मृतक आतंकवादियों के साथ षड़यत्र करके इस आतंकवादी घटना को कारित किया गया जिसमें एक जनता के व्यक्ति रमेश कुमार की मृत्यु आतंकवादियों द्वारा जीप सं0-यूपी-42 टी 0618 को बम से ब्लास्ट करने से मौके पर हुई तथा एक महिला शान्ती देवी को गंभीर चोटे आयी जिससे उपचार के दौरान दिनांक 02.08.2005 को उसकी मृत्यु हो गयी। घटना में 05 आतंकवादियों व रमेश नामक व्यक्ति एवं 01 महिला सहित कुल 07 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी।

उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-10/07 भा0द0सं0 की धारा-302/120बी, 307/120बी, 153ए/120बी, 153बी/120बी0, 353/120बी, 295/120बी व 4 लोक सम्पत्ति क्षति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अधिनियम/120बी, 18, 19, 20 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधि0/120बी के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18.06.2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.10.2022 तक 16 वर्ष 11 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 06 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, सहारनपुर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा राष्ट्र विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने जिसमें 07 व्यक्तियों की मृत्यु हुयी, पुलिस एवं अर्ध सैनिक बल के कार्मिक घायल हुए व शासकीय सम्पत्ति की क्षति हुयी एवं समाज में भय व्याप्त हुआ। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, राष्ट्र विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी डा0 इरफान पुत्र श्री असलम खान को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।